शोध सार, निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय–पंचम

शोध सार, निष्कर्ष एवं सुझाव

5.1 भूमिका :–

शिक्षा हमेशा से हमारे समाज की जीवन धारा रही है। शिक्षा जहां एक ओर मनुष्य का बौद्धिक विकास करके मनोवैज्ञानिक सम्बल प्रदान करती है, वहीं दूसरी ओर मनुष्य को आर्थिक रूपसे स्वनिर्भर बनाती है। शिक्षा को जन–जन तक पहुंचाने में शिक्षक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मानव मात्र को शिक्षित करने का दायित्व शिक्षक का है। शिक्षक अपने दायित्व का निष्ठापूर्वक निर्वहन तभी कर सकेगा, जब वह बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सक्षम हो। यदि शिक्षक समस्याओं से घिरा होगा तो निश्चित रूप से शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होगी। अतः समाज का यह नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि समय–समय पर शिक्षक की समस्याओं का विश्लेषण किया जाये। इसी बात को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध में पैरा शिक्षकों की समस्याओं का अध्ययन किया गया है।

5.2 समस्या का कथन :–

मध्यप्रदेश में पैराशिक्षकों की आवश्यकताओं एवं समस्याओं का अध्ययन करना।

5.3 शोध उद्देश्य :–

(1) पैराशिक्षकों की वर्तमान स्थिति का अध्ययन धारित पद, कार्य प्रकृति, आहरित वेतनमान, नियमित शिक्षकों से सम्बन्ध, विद्यालय प्रशासन, शिक्षा विभाग के नियमों तथा सामाजिक प्रतिष्ठा के परिप्रेक्ष्य में करना।

(2) पैरा शिक्षकों की समस्याओं का अध्ययन लिंग, विद्यालय प्रकार, ग्रामीण तथा शहरी, शैक्षणिक योग्यता तथा व्यावसायिक योग्यता के परिप्रेक्ष्य में करना।

(3) पैरा शिक्षकों की स्थिति तथा शैक्षणिक गुणवत्ता के सुधार हेतु सुझाव देना।

5.4 शोध के चर :-

जिस गुण, विशेषता या अवस्था का अध्ययन करना शोध का उद्देश्य हो, उसे चर कहते है। प्रस्तुत शोध में निम्न चरों का अध्ययन किया गया है।

चर - शोध अध्ययन में निम्नलिखित चर लिये गये हैं।

(1) **स्वतंत्र चर** - प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित पांच चरों को स्वतंत्र चर के रूप में लिया गया है।

- लिंग
- विद्यालय प्रकार (शासकीय तथा अर्द्धशासकीय)
- ग्रामीण - शहरी
- शैक्षिक योग्यता
- व्यवसायिक योग्यता

(2) **आश्रित या परतंत्र चर -**

प्रस्तुत शोध में निम्नलिखित सात चरों को आश्रित चरों के रूप में लिया गया है।

- पद से संतुष्टि
- कार्य से संतुष्टि
- वेतनमान से संतुष्टि
- विद्यालय प्रशासन

LIBRARY Bhopal

- नियमित शिक्षकों से सम्बन्ध
- शिक्षा विभाग के नियम
- सामाजिक प्रतिष्ठा।

5.5 शोध प्रश्न :-

1. क्या पैराशिक्षक अपने पद से संतुष्ट हैं ?
2. क्या पैराशिक्षक अपने कार्य से संतुष्ट है ?
3. क्या पैराशिक्षक अपने वेतनमान से संतुष्ट है ?
4. क्या पैरा शिक्षक विद्यालय प्रशासन से संतुष्ट है ?
5. क्या पैरा शिक्षक नियमित शिक्षकों के व्यवहार से संतुष्ट है ?
6. क्या पैरा शिक्षक शिक्षा विभाग के नियमों से संतुष्ट है ?
7. क्या पैरा शिक्षक सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्ट है ?
8. क्या लिंग के आधार पर पैरा शिक्षकों के पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों, शिक्षा विभाग के नियमों तथा सामाजिक प्रतिष्ठा संतुष्टि में सार्थक अन्तर है।
9. क्या विद्यालय प्रकार के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर है ?
10. क्या ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षाविभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर है ?

11. क्या शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर है ?

12. क्या व्यवसायिक योग्यता के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहार से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर है ?

5.6 शोध परिकल्पनायें :-

प्रस्तुत शोध यथार्थता तथा सार्थकता की जाँच के लियें निम्नलिखित परिकल्पनाएँ की गई है-

1. लिंग के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है।

2. विद्यालय प्रकार के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है।

3. ग्रामीण तथा शहरी विद्यालय के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है।

4. शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है।

5. व्यवसायिक योग्यता के आधार पर पैराशिक्षकों में पद, कार्य, वेतनमान, विद्यालय प्रशासन से, नियमित शिक्षकों के व्यवहारों से, शिक्षा विभाग के नियमों से तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं हैं।

5.7 प्रतिदर्श :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु मध्यप्रदेश के 25 जिलों में कार्यरत् पैरा शिक्षकों को लिया गया है, जिनमें 145 पुरूष पैरा शिक्षक तथा 55 महिला पैरा शिक्षक है।

5.8 उपकरण :-

प्रस्तुत शोध अध्ययन हेतु डॉ. एस. के. गुप्ता मार्गदर्शन में अनुसंधान द्वारा 'पैराशिक्षक अध्ययन प्रपत्र' तैयार किया गया। प्रपत्र में दो खण्ड हैं- (1) सामान्य खण्ड (2) विशिष्ट खण्ड।

(1) **सामान्य खण्ड :-**

इस भाग में पैरा शिक्षक की व्यक्तिगत तथा पारिवारिक जानकारी है।

(2) **विशिष्ट खण्ड :-**

इस भाग में पद, कार्य आहरित वेतनमान, विद्यालय प्रशासन नियमित शिक्षकों का व्यवहार, शिक्षा विभाग के नियम तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टता ज्ञात किये हेतु प्रत्येक उपखण्ड में

5.9 सांख्यिकी :-

शोध अध्ययन में उद्देश्य की पूर्ति हेतु संकलित प्रदत्तों का सांख्यिकी विश्लेषण किया गया है एवं प्रतिशत एवं काई वर्ग (χ^2) को अध्ययन में शामिल किया।

5.10 परिणाम :-

प्रस्तुत शोध में शून्य परिकल्पनाओं का निर्माण किया गया था। काई-वर्ग के आधार पर शून्य परिकल्पनाओं की सत्यता का विश्लेषण किया गया, जिसके आधार पर प्राप्त निष्कर्ष निम्नानुसार है :-

1. पैराशिक्षकों में लिंग के आधार पर कार्य से संतुष्टि, वेतन से संतुष्टि, विद्यालय प्रशासन से संतुष्टि, विभागीय नियमों से संतुष्टि तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं है, जबकि लिंग के आधार पर पद संतुष्टि तथा नियमित शिक्षकों के व्यवहार से संतुष्टि में सार्थक अन्तर पाया गया।

2. पैराशिक्षकों में विद्यालय प्रकार (शासकीय तथा अर्द्धशासकीय) के आधार पर पद संतुष्टि, कार्य संतुष्टि, वेतनमान संतुष्टि, विद्यालय, प्रशासन से संतुष्टि, नियमित शिक्षकों के व्यवहार से संतुष्टि, विभागीय नियमों से संतुष्टि तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया।

3. पैराशिक्षकों में स्थानीय (ग्रामीण तथा शहरी) आधार पर पद संतुष्टि, कार्य, संतुष्टि, वेतनमान संतुष्टि, नियमित शिक्षकों से व्यवहार से संतुष्टि, विभागीय नियमों से संतुष्टि तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया, जबकि पैरा शिक्षकों में स्थानीय आधार पर विद्यालय प्रशासन से संतुष्टि में सार्थक अन्तर पाया गया।

4. पैराशिक्षकों में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर कार्य से संतुष्टि, वेतनमान से संतुष्टि, विद्यालय प्रशासन से संतुष्टि, नियमित शिक्षकों से संतुष्टि विभागीय नियमों से संतुष्टि तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्ठि में सार्थक अन्तर नहीं पाया गया। जबकि पैरा शिक्षकों में शैक्षणिक योग्यता के आधार पर पद संतुष्टि में सार्थक अन्तर है।

5. पैराशिक्षकों में व्यवसायिक योग्यता के आधार पर पद संतुष्टि कार्य संतुष्टि, वेतनमान संतुष्टि, विद्यालय प्रशासन से संतुष्टि, विभागीय नियमों से संतुष्टि तथा सामाजिक प्रतिष्ठा से संतुष्टि में सार्थक उन्तर नहीं है, जबकि पैराशिक्षकों के व्यवसायिक योग्यता के आधार पर नियमित शिक्षकों के व्यवहार से संतुष्टि में सार्थक अन्तर है।

5.11 सुझाव :

पैराशिक्षकों के हितों को ध्यान में रखते हुये अनुसंधानकर्ता द्वारा निम्नलिखित सुझाव दिये जा रहे हैं :-

1. पैराशिक्षकों के वेतनमान में संशोधन करके स्थायी शिक्षकों के समान वेतन प्रदान किया जाये।

2. शिक्षा विभाग में संविलियन किया जाये।

3. पदनाम परिवर्तित किया जाये।

4. पैरा शिक्षकों को 50 प्रतिशत मंहगाई भत्ता प्रदान किया जाये।

5. पैराशिक्षकों के लिए पेंशन सुविधा प्रदान की जाये।

6. पैराशिक्षकों के लिए कुछ निश्चित अवधि के पश्चात् नियमित करने की प्रक्रिया अपनायी जाये।

7. पैराशिक्षकों के लिए अनुकम्पा नियुक्ति की सुविधा प्रदान की जाये।

8. पैराशिक्षकों के लिए तबादला नीति की सुविधा प्रदान की जाये।

9. पैराशिक्षकों के संघ 'राज्य शिक्षाकर्मी संघ' को मान्यता प्रदान की जाये।

10. पैराशिक्षकों के लिए यात्रा भत्ता की सुविधा प्रदान की जाये।